


जीवन शक्ति परियोजना : स्थायी स्वरोगार का आधार लेमनग्रास अथवा नींबू घास



लेमनग्रास का परिचय : लेमनग्रास अथवा नींबू घास, जिसका वैज्ञानिक नाम “सिम्बोपोगन फ्लेक्सुओसस” (Cymbopogon, Flexusosus) है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में पायी जाती है। इसे चायना ग्रास, पूर्वी भारतीय नींबू घास, मालाबार घास अथवा कोचीन घास के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्तियों में एक मधुर तीक्ष्ण गंध होती है, जिन्हें चाय में डालकर उबालकर पीने से ताजगी एवं सर्दी आदि से राहत भी मिलती है। इसके तेल का मुख्य घटक सिट्रल होता है। नींबू घास के तेल में 80 से 90 प्रतिशत तक सिट्रल पाया जाता है। सिट्रल की उपस्थिति के कारण ही नींबू घास के तेल में से एक नींबू जैसी सुगन्ध आती है। सिट्रल की मात्रा के आधार पर ही इसके तेल का मूल्य निर्धारित किया जाता है।

लेमनग्रास के तेल के मुख्य उपयोग :

इसका उपयोग उच्च कोटि के इत्र के उत्पादन, विभिन्न सौन्दर्य प्रसाधन, सौन्दर्य सामग्री तथा साबुन के उत्पादन में तथा दवाइयों आदि के निर्माण में किया जाता है।

उपयुक्त भूमि एवं जलवायु :

नींबू घास ऊष्ण तथा समशीतोष्ठ जलवायु जहां पर्याप्त धूप पड़ती हो तथा जहां वर्षा 200 से 250 सेमी तक हो अथवा सिंचाई साधन हो, में आसानी से उगाई जा सकती है। यह लेटेराइट मिट्टी, कम वर्षा वाले क्षेत्र, कम उपजाऊ तथा बारानी क्षेत्र एवं मृदा पी.एच. 9.0 तक में इसकी खेती की जा सकती है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जहाँ प्रोटोकिट्व अरिगेशन सुविधा उपलब्ध हो, इसकी व्यावसायिक समूहगत खेती सामान्य कृषि उत्पादकता को प्रभावित किये बिना, किये जाने की अनुशंसा है। दीर्घकालिक औद्यानिकी के साथ इंटरक्रॉपिंग एवं एग्रोफोरेस्ट्री हेतु भी इसके कृषि कर अनुशंसा की जा सकती है। जिन स्थानों में प्रिड इंटरकिट्व सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं, ऐसे स्थानों पर पैनल के नीचे की भूमि का उपयोग सामान्य सिंचाई सुविधा (पैनल को यथा आवश्यकता समय-समय पर धोने हेतु उपयोग में लाये जाने वाले पानी की सीमा तक) के तापमान को बढ़ने से रोकने के साथ-साथ असंख्य क्षेत्रीय लोगों को नियमित रोजगार संबंधित कंपनी को अतिरिक्त नियमित आय भी प्राप्त होगी।

भूमि की तैयारी :

प्रायः एक बार लगा देने के बाद नींबू घास की फसल पांच वर्ष तक ली जा सकती है। अतः फसल की बिजाई से पूर्व आवश्यक है कि खेत को अच्छी तरह से जुताई की जाए। मिट्टी को दीमक आदि के प्रकोप से मुक्त रखने के लिए आखिरी जुताई के समय 5 प्रतिशत बी.एच.सी. पाउडर 25 किग्रा। प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दिया जाए। अच्छी उपज के लिए गोबर की खाद व बायोफर्टिलाइजर/ न्यूट्रियन्ट इनपुट्स का प्रयोग करें तथा आवश्यकता पड़ने पर छिड़काव विधि से कम मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश का प्रयोग करना चाहिए।

लेमनग्रास की रोपण सामग्री :

पौधे से पौधे के माध्यम 2×2 फुट अथवा 1.5×2 की दूरी काफी उपयुक्त मानी जाती है। इस मानक से एक एकड़ में लगभग 12,000 से 15,000 पौधे लगाये जाते हैं। इसकी कीमत 50 पैसे से लेकर 2 रु. प्रति स्लिप्स तक होती है। इसकी प्रमुख प्रजातियाँ हैं प्रगति, प्रमाण, कावेरी, कृष्णा इत्यादि। इसमें कृष्णा प्रदेश में सामान्य रूप से किसानों में काफी लोकप्रिय है।

बिजाई का समय :

सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो लेमनग्रास की बिजाई वर्ष में कभी भी ज्यादा गर्मी के समय को छोड़कर की जा सकती है। परन्तु सर्वाधिक उपयुक्त समय है - फरवरी-मार्च तथा जूलाई-अगस्त माह। फरवरी-मार्च में लगाई गई फसल से प्रथम वर्ष में 20 प्रतिशत ज्यादा पैदावार मिलती है। पौधों को मेड़ों की ढाल पर लगाना चाहिए, इससे सिंचाई आसानी से हो जाती है तथा पानी भी कम लगता है।



सिंचाई की आवश्यकता :

एक बार जम जाने (जड़ पकड़ लेने) के बाद लेमनग्रास की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। समय-समय पर पानी दिया जाना आवश्यक होगा। सामान्य रूप से सिंचाई करते रहने से फसल की उचित बढ़ोत्तरी होती है।

निराई तथा गुड़ाई की आवश्यकता :

लेमनग्रास की फसल में केवल पहली बार ही ज्यादा खरपतवार होती है तथा अगली कटाइयों में खाली जगह भर जाती है। बिजाई/रोपाई के उपरान्त पहली कटाई से पूर्व हाथ से निराई/गुड़ाई किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक कटाई के उपरान्त हाथ से गुड़ाई किया जाना लाभदायक होगा। खरपतवार के नियन्त्रण हेतु फसल के रोपण से पूर्व प्रति एकड़ 0.5 किग्रा ड्योरान अथवा 250 ग्राम आक्सीफ्लरयूरोफेन को जमीन में डाला जा सकता है।

फसल की कटाई :

प्रथम बिजाई/रोपाई से लगभग 100 से 120 दिनों के बाद यह फसल प्रथम कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई भूमि की सतह से 10 से 15 सेमी ऊपर जहाँ से पत्ते शुरू होते हैं, से काटना चाहिए। कटाई के उपरान्त फसल पुनः बढ़ने लगती है तथा 80 से 100 दिनों में पुनः कटाई के लिये तैयार हो जाती है। प्रत्येक 80-100 दिन के अंतराल पर लेमनग्रास की आगामी वर्ष में 4 कटाइयाँ ले ली जाती हैं। फूल आने से पहले फसल की कटाई अवश्य करें।

पत्तियों से तेल निकालना :

लेमनग्रास की पत्तियों से तेल निकालने के लिये इसकी पत्तियों (शाक) का आसवन किया जाता है। प्रायः फसल काटने के उपरान्त उसे कुछ समय तक मुरझाने हेतु खेत में ही अथवा किसी छायादार स्थान पर रख दिया जाता है तदोपरान्त उसका आसवन किया जाता है। यदि इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर डालने पर तेल की मात्रा अकसर बढ़ सकती है। आसवन की प्रक्रिया लगभग चार से पाँच घण्टों में पूरी हो जाती है।

फसल से प्राप्त होने वाले तेल की मात्रा तथा इससे होने वाली वार्षिक आय

लेमनग्रास की फसल से उत्पादित होने वाले तेल की मात्रा भूमि उर्वरा शक्ति, क्षेत्र की जलवायु, खेती की देख-रेख, लेमनग्रास की लगाई गयी प्रजाति तथा धास काटने के समय पर ज्यादा निर्भर करती है। वर्तमान में लेमनग्रास की कृषि से प्राप्त अनुभवों के आधार पर प्रथम वर्ष भर में 2 से 3 कटाइयों में औसतन 60 से 80 किलो ग्राम तेल का उत्पादन होता है, जोकि आगामी वर्षों में बढ़ जाता है। प्रायः पत्तियों में 0.5 प्रतिशत से 0.6 प्रतिशत तक तेल की मात्रा प्राप्त होती है। प्रथम वर्ष में लेमनग्रास की कृषि में चयनित खेत की स्थिति के अनुसार रु. 35,000 से रु. 40,000 प्रति एकड़ की कुल लागत है। द्वितीय वर्ष तथा आगे यह लागत सीमित होकर औसतन रु. 6,000 से रु. 8,000 प्रति वर्ष के बीच आती है। जो मुख्य रूप से सिंचाई, खाद तथा आसवनी/कटाई हेतु श्रम मूल्य के रूप में आती है।

- **प्रथम वर्ष में उत्पादन :** कुल उपज 60 से 80 किलो ग्राम रु. 800 से 900 प्रति किलो ग्राम, रु. 64,000
- **दूसरे वर्ष से पाँचवें वर्ष में उत्पादन :** कुल उपज 80 से 120 किलो ग्राम रु. 800 से 900 प्रति किलो ग्राम, रु. 96,000
- **सैप्लिंग/रोपण सामग्री की बिक्री से किसान को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है।**



उत्पाद के बिक्री की व्यवस्था

जीवन शक्ति योजनान्तर्गत इसकी कृषि क्लस्टर आधार पर किये जाने की अनुशंसा है। बोर्ड द्वारा सम्बन्धित क्लस्टर को सीधे बाजार से जोड़ दिया जाता है, ताकि उत्पाद का उचित मूल्य किसान को सीधे प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड इस प्रक्रिया की प्रत्यक्ष मॉनीटरिंग भी करता है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें -

उ.प. राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

534, पाँचवां तल, योजना भवन, लखनऊ-226001

फोन : 0522-2236213 मोबाइल : 9415004917

ई-मेल : upbioenergy2017@gmail.com

ps_ojha@yahoo.com

वेबसाईट : <http://bio-energy.up.nic.in>

जीवन शक्ति परियोजना : स्थायी स्वरोजगार का आधार

पामारोजा अथवा रोषा घास

पामारोजा का परिचय : पामारोजा का वानस्पतिक नाम “सिम्बोपोगॉन मारटिनी” है। यह घास कुल की एक महत्वपूर्ण बहुवर्षीय सुगन्धित तेल धारक फसल है। इसके तेल में 75 से 90 प्रतिशत तक जिरेनियॉल तत्व पाया जाता है। जिससे इसके महत्व का आभास होता है। गर्म तासीर के कारण इसके तेल की मालिश घुटनों तथा शरीर के अन्य जोड़ों के दर्द में किया जाता है। इसके साथ-साथ यह मच्छर भगाने वाले प्राकृतिक रीपलैन्ट्स में भी प्रयुक्त होता है। विभिन्न दवाईयों में भी इसके कई उपयोग हैं।

पामारोजा के तेल के मुख्य उपयोग :

इस तेल का उपयोग मुख्यतः अगरबत्ती, सुगन्धित साबुन, सुगन्धित प्रसाधन सामग्री के निर्माण तथा तम्बाकू को सुगन्धित करने में होता है।

उपयुक्त भूमि एवं जलवायु :

ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्ष में तापक्रम 10 से 45 डिग्री सेल्सियस हो तथा वर्षा लगभग 80-100 सेमी व धूप प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, पामारोजा की खेती के लिये उपयुक्त होते हैं। अत्यधिक वर्षा, सर्दी तथा पाला व छांवदार क्षेत्र इसकी उत्तम काश्त हेतु उचित नहीं होते हैं। रेतीले दोमट, दोमट तथा मध्यम काली मिट्टी, जिसमें उत्तम जल निकास व्यवस्था हो, इसकी काश्त के लिए उत्तम है। यह घास पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी कम तथा मौरंग अधिक हो, वहाँ भी पैदा की जा सकती है, जो भूमि सुधार में भी सहायक होती है। प्रदेश का बुंदेलखण्ड एवं पूर्वाञ्चल क्षेत्र इसके रोपण किये जाने के लिए काफी अच्छा है। इसकी खेती लवण्युक्त भूमि (9.0 पी.एच.) ऊँची-नीची जमीनों पर की जा सकती है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, जहाँ प्राटेकिटव अरीगेशन सुविधा उपलब्ध हो, इसकी व्यावसायिक समूहगत खेती सामान्य कृषि उत्पादकता को प्रभावित किये बिना, किये जाने की अनुशंसा है। दीर्घकालिक और औद्यानिकी के साथ इण्टरक्रॉपिंग एवं एग्रोफॉरेस्ट्री हेतु भी इसके कृषि की अनुशंसा की जा सकती है। जिन स्थानों में ग्रिड इंटरेकिटव सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं, ऐसे स्थानों पर पैनल के नीचे की भूमि का उपयोग सामान्य सिंचाई सुविधा (पैनल को यथा आवश्यकता समय-समय पर धोने हेतु उपयोग में लाये जाने वाले पानी की सीमा तक) के तामपान को बढ़ने से रोकने के साथ-साथ असंख्य क्षेत्रीय लोगों को नियमित रोजगार संबंधित कंपनी को अतिरिक्त नियमित आय भी प्राप्त होगी।

भूमि की तैयारी :

वर्षा से पूर्व खेत की एक या दो बार हल से गहरी जुताई कर अन्त में पाटा चलाकर खेत ऐसे समतल करना चाहिए कि पानी खेत में रुके नहीं। अच्छी उपज के लिए गोबर की खाद व बायोफर्टिलाइजर (बायोस्लरी)/न्यूट्रिएन्ट इनपुट्स का प्रयोग करें तथा आवश्यकता पड़ने पर छिड़काव विधि से कम मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटाश का प्रयोग करना चाहिए।

पामारोजा का रोपण :

पामारोजा का रोपण तीन प्रकार से किया जा सकता है। नर्सरी द्वारा पौधे तैयार कर रोपण, बीज को सीधे खेत में बुवाई करके एवं सीधे स्लिप्स लगाकर पौधों का रोपण करते हैं। नर्सरी द्वारा एक एकड़ खेत में प्रत्यारोपण करने हेतु 1.5-2.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। पामारोजा की तीन उन्नत किस्में : ‘तृष्णा’, तृप्ता तथा पी.आर.सी.-1 भी विकसित की गई है जो किसानों में काफी लोकप्रिय हुई है। मई के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के करीब 20 सेमी जमीन से ऊँची उठी हुई क्यारियों में (आकार 1x10 मीटर) गोबर खाद की समुचित मात्रा मिलानी चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 20-25 ग्राम बी.एच.सी. 10 प्रतिशत चूर्ण अच्छी तरह अवश्य मिलायें और 10 सेमी दूर कतार में 1-2 सेमी गहराई पर बीज बोयें। बीज को गोबर खाद युक्त बारीक मिट्टी से इस प्रकार ढकें कि बीज दिखता रहे। प्रतिदिन क्यारियों की सिंचाई करें और पौधशाला को सीधी धूप से बचायें। लगभग 45-50 दिनों के



उपरांत जब पौधे लगभग 15-20 सेमी ऊँचे हो जाएं तो उन्हें जड़ सहित निकालकर रोपाई के काम में लेना चाहिए। रोपाई का कार्य बरसात में 8-10 सेमी वर्षा हो जाने के बाद ही करना चाहिए।

सिंचाई की आवश्यकता :

एक बार जम जाने (जड़ पकड़ लेने) के बाद पामारोजा की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सर्दियों में 20 दिन के अंतराल से तथा गर्मियों में 15 दिन के अंतराल से सिंचाई करना आवश्यक होता है।

निराई तथा गुड़ाई की आवश्यकता :

पामारोजा में 2-3 निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। सामान्यतः पामारोजा पर कीट-पतंगों तथा बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है, परन्तु अधिक वर्षा होने पर फफूंदी रोग के धब्बे पत्तियों तथा तनों पर दिखाई देने लगते हैं, जिनकी रोकथाम हेतु डायथेन जेड-78 या डायथेन एम-45 के 0.3 प्रतिशत घोल का पौधों के ऊपर 8-10 दिन के अन्तराल से 2-3 छिड़काव करना चाहिए।

फसल की कटाई :

फसल में अधिकाधिक तेल प्राप्ति हेतु पौधों में पूर्णरूप से पुष्पक्रम आने पर तथा बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होते ही एवं पुष्पक्रम का रंग हल्के बादामी हो जाये भूमि से 10-15 सेमी की ऊँचाई से फसल काटकर छायादार ठंडी जगह में एकत्रित कर लेनी चाहिए। एक बार रोपड़ के उपरांत पामारोजा की प्रतिवर्ष 4 से 5 कटाईयाँ लगभग 8-9 वर्ष तक मिलती रहती हैं।

पत्तियों से तेल निकालना तथा उनसे होने वाली आय :

पामारोजा में सबसे अधिक मात्रा में तेल इसके पुष्पकुंजों व पत्तियों में पाया जाता है तथा इसकी कड़ियों में तेल नहीं के बराबर होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण पौधे के आधार पर तेल की उपलब्ध मात्रा लगभग 0.3 से 0.4 प्रतिशत होती है। प्रथम वर्ष में पौधों, जुट्टों का अपेक्षाकृत कम फैलाव होने से फसल कमजोर रहती है अतः तेल की औसतन मात्रा क्रमशः 12-16 किलोग्राम तथा आगे वर्षों 20-30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रतिवर्ष प्राप्त होती है, जो आने वाले वर्षों तथा भविष्य की कटाईयों में बढ़कर असिंचित अवस्थाओं में क्रमशः 20-25 किलोग्राम तथा सिंचित अवस्थाओं में 40-50 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। सामान्य आसवन विधि से इसका तेल निकाला जाता है। प्रथम वर्ष पामारोजा की कृषि में चयनित खेत की स्थिति के अनुसार रूपया 25,000 से रूपया 35,000 प्रति एकड़ की कुल लागत है। द्वितीय वर्ष तथा आगे यह लागत सीमित होकर औसतन रूपया 6,000 से रूपया 8,000 प्रतिवर्ष के बीच आती है, जो मुख्य रूप से सिंचाई, खाद तथा आसवनी/कटाई हेतु श्रम मूल्य के रूप में आती है।

- **प्रथम वर्ष में उत्पादन :** 40 से 50 किलो ग्राम रु. 1000 से 12000 प्रति किलो ग्राम, रु. 60,000
- **दूसरे वर्ष से पाँचवें वर्ष में उत्पादन :** तक उपर 50 से 80 किलो ग्राम रु. 1,000 से 1,200 प्रति किलो ग्राम, रु. 80,000
- **सैप्लिंग/रोपण सामग्री की बिक्री से किसान को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है।**

उत्पाद की बिक्री की व्यवस्था

जीवन शक्ति योजनान्तर्गत इसकी कृषि क्लस्टर आधार पर किये जाने की अनुशंसा है। बोर्ड द्वारा सम्बन्धित क्लस्टर को सीधे बाजार से जोड़ दिया जाता है, ताकि उत्पाद का उचित मूल्य किसान को सीधे प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड इस प्रक्रिया की प्रत्यक्ष मॉनीटरिंग भी करता है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें -

उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

534, पाँचवां तल, योजना भवन, लखनऊ-226001

फोन : 0522-2236213 मोबाइल : 9415004917

ई-मेल : upbioenergy2017@gmail.com

ps_ojha@yahoo.com

वेबसाईट : <http://bio-energy.up.nic.in>



बायोडीजल उत्पादन हेतु

सीमारूबा (सीमारूबा ग्लोबका डी.सी.) वृक्षारोपण

(जीवन ज्योति परियोजना)



पेट्रोलियम आधारित ईंधन की माँग की पूर्ति हेतु वर्ष 2014-15 में भारत सरकार को इसके आयात मूल्य के रूप में लगभग रु० 7 लाख करोड़ का निवेश करना पड़ा। इतने भारी-भरकम निवेश के उपरान्त भी दरों के उत्तर-चढ़ाव से हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इन पदार्थों के इस्तेमाल के उपरान्त इससे होने वाले उत्सर्जन का वातावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का प्रत्यक्ष उदाहरण ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे समक्ष है तथा वर्तमान में संपूर्ण विश्व की जनता इसकी त्रासदी को झेल भी रही है।

उक्त परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा घोषित “राज्य जैव ऊर्जा नीति” में प्रदेश की

ऊसर, परती, बंजर तथा कृषि, बागवानी एवं पशु चारागाह हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि का उपयोग कर जैव ऊर्जा पौधों का रोपण करते हुए पेट्रोलियम आधारित ईंधन की खपत को बायोडीजल से उत्तरोत्तर रूप से कम करते हुए वर्ष 2020 तक लगभग दस लाख युवाओं को स्वरोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इस पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है।

इसी क्रम में प्रदेश की जलवायु के अनुसार जैव ऊर्जा पौधों के वृक्षारोपण हेतु नीम, महवा, करंज, सीमारूबा तथा जेट्रोफा का चयन किया गया है। इस पौध के बीज से जहाँ एक ओर बायोडीजल उत्पादन होता है, वहीं इसकी खली का उपयोग बायोगैस इकाई में करते हुए खाना पकाने एवं प्रकाश हेतु स्वच्छ ईंधन तथा उच्च गुणवत्ता की खाद भी प्राप्त की जा सकती है। इसे

जनसामान्य की भाषा में लक्ष्मीतरु भी कहा जाता है। इस

प्रकार का प्रयास प्रदेश के कुछ जनपदों में प्रारंभ भी हो चुका है।

उक्त चयनित पौधों में सीमारूबा वृक्षारोपण हेतु निम्नलिखित प्रयास किसान भाईयों को करने होंगे :

- यदि आप लघु एवं सीमान्त, बी.पी.एल., एस.टी.एस.सी., इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थी अथवा भूमि संरक्षण योजना के लाभार्थी हैं तो अपने गाँव के रोजगार सेवक/ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर अपना मनरेगा जॉब कार्ड निश्चित रूप से बनवा लें ताकि इस वृक्षारोपण की

लागत “जीवन ज्योति परियोजना” के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाये। इसका

सघन वृक्षारोपण कृषि सामाजिक, वानिकी एवं पशु चारागाह हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि पर क्लस्टर एप्रोच आधार पर किये जाने की अनुशंसा है।



Whitish Yellow Form



Pink Form

2. सीमारुबा के सघन वृक्षारोपण हेतु लाइन से लाइन तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 मी० × 5 मी० होनी चाहिए।
3. अप्रैल तथा मई माह में चिन्हित स्थान पर 45 से०मी० × 45 से०मी० का गड्ढा खोदकर उसे खुला छोड़ दें।
4. जुलाई माह में वृक्षारोपण से पूर्व माझको न्यूट्रियन्ट्स तथा कम्पोस्ट डालने के उपरान्त कम से कम चार फिट लम्बाई का पौधा जुलाई से सितम्बर माह में लगाना चाहिए।
5. प्रथम वर्ष में समय से निराई-गुडाई तथा पौध की रक्षा अति आवश्यक होगी। साथ ही प्रत्येक पौध को 3 किंग्रा० कम्पोस्ट तथा 50 ग्राम एन.पी.के. मिक्स कर डालना आवश्यक है।
6. कलम द्वारा तैयार किये गये पौध से औसतन 6 से 8 वर्ष के उपरान्त एक सीमारुबा के पौधे से लगभग 15 से 30 किंग्रा० बीज प्रति वर्ष प्राप्त होता है। भविष्य में वृक्ष का आकार बढ़ने पर 100 किंग्रा० प्रति वृक्ष भी उत्पादन पाया गया है। सीमारुबा के बीज में 30 से 40 प्रतिशत तक तेल की मात्रा पायी जाती है। इस प्रकार प्राप्त तेल का उपयोग बायोडीजल उत्पादन हेतु किया जाता है।
7. उक्त उत्पादित खली बोर्ड के बी.इ.एम.सी. मॉडल बायोगैस उत्पादन इकाई में गोबर के साथ मिश्रित कर जहाँ इससे खाना पकाने एवं प्रकाश हेतु स्वच्छ ईधन का उत्पादन कर सकेंगे, वहीं इसकी बायो स्लरी का उपयोग उच्च गुणवत्ता की आर्गेनिक खाद के रूप में आसानी से किया जा सकता है, जिस पर किसान को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना होगा।
8. यह पौधा लगाने के पश्चात् लगभग आगामी 60 से 80 वर्षों तक बढ़ती हुई दरों पर फलोत्पादन तो करेगा ही पर्यावरण को भी शुद्ध करने में सहयोग करेगा।
9. सघन सीमारुबा वृक्षारोपण के अंतः कृषि में लेमनग्रास, पामारोजा, तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगन्धा इत्यादि औषधीय एवं सगंध पौधों का रोपण कर प्रत्येक 100 से 120 दिन में किसान को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। इस हेतु “जीवन शक्ति परियोजना” के अंतर्गत उक्त श्रेणी के किसानों को वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराया जाता है।
10. किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रूड बायोडीजल उत्पादन तथा बैच आधारित क्रूड बायोडीजल शोधन संयंत्र स्थायी स्वरोजगार मोड में प्रधानमंत्री रोजगार गारण्टी योजना/मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आसानी से बैच इन्डेड क्रेडिट लिंक सब्सिडी सुविधा प्राप्त कर, व्यावसायिक बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त कर स्थापित किया जा सकता है। इस हेतु शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है।
11. सीमारुबा के गिरी का क्रय संबंधित वर्ष में भारत सरकार द्वारा बायोडीजल हेतु घोषित दर का 20 प्रतिशत होगा। यह दर संबंधित उपभोक्ता द्वारा क्रूड बायो डीजल उत्पादक/क्रय केन्द्र/बोर्ड द्वारा घोषित जनपदवार/क्षेत्रवार क्रय केन्द्रों पर सम्बन्धित उत्पाद ले आने पर लागू होगी। वर्तमान में बायोडीजल का मूल्य 48.50 रु० प्रति लीटर घोषित है।



Simarouba Oil

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें -

उ.प्र. राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

534, पाँचवां तल, योजना भवन, लखनऊ-226001

फोन : 0522-2236213 मोबाइल : 9415004917

ई-मेल : upbioenergy2017@gmail.com


ps_ojha@yahoo.com

वेबसाईट : <http://bio-energy.up.nic.in>

करंज (पौँगामिया पिनाटा)

वृक्षारोपण

(जीवन ज्योति परियोजना)



पेट्रोलियम आधारित ईंधन की माँग की पूर्ति हेतु वर्ष 2014-15 में भारत सरकार को इसके आयात मूल्य के रूप में लगभग ₹ 7 लाख करोड़ का निवेश करना पड़ा। इतने भारी-भरकम निवेश के उपरान्त भी पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन की दरों के उत्तार-चढ़ाव से हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इन पदार्थों के इस्तेमाल के उपरान्त इससे होने वाले उत्सर्जन का वातावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का प्रत्यक्ष उदाहरण ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे समक्ष है तथा वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व की जनता इसकी त्रासदी को झेल भी रही है।

उक्त परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा घोषित “राज्य जैव ऊर्जा नीति” में प्रदेश की

ऊसर, परती, बंजर तथा कृषि, बागवानी एवं पशु चारागाह

हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि का उपयोग कर जैव ऊर्जा पौध का रोपण करते हुए पेट्रोलियम आधारित ईंधन की खपत को बायोडीजल से उत्तरोत्तर रूप से कम करते हुए वर्ष 2020 तक लगभग दस लाख युवाओं को स्वरोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इस पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

इसी क्रम में प्रदेश की जलवायु के अनुसार जैव ऊर्जा पौध के वृक्षारोपण हेतु नीम, महवा, करंज, सीमारुबा तथा जेट्रोफा का चयन किया गया है। इस पौधों के बीज से जहाँ एक ओर बायो डीजल उत्पादन होता है, वहीं इसकी खली का उपयोग बायो गैस इकाई में करते हुए खाना पकाने एवं प्रकाश हेतु स्वच्छ ईंधन तथा उच्च गुणवत्ता की खाद भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार का प्रयास प्रदेश के कुछ जनपदों में प्रारम्भ भी हो चुका है। उक्त चयनित पौधों में करंज वृक्षारोपण हेतु निम्नलिखित प्रयास किसान भाईयों को करने होंगे :

- यदि आप लघु एवं सीमान्त, बी.पी.एल., एस.टी.एस.सी., इन्डिरा आवास योजना के लाभार्थी अथवा भूमि संरक्षण योजना के लाभार्थी हैं तो अपने गाँव के रोजगार सेवक/ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर अपना मनरेगा जॉब कार्ड निश्चित रूप से बनवा लें ताकि इस वृक्षारोपण की लागत “जीवन ज्योति परियोजना” के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाये। इसका सघन वृक्षारोपण कृषि, सामाजिक वानिकी एवं पशु चारागाह हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि पर क्लस्टर एप्रोच आधार पर किये जाने की अनुशंसा है।
- करंज के सघन वृक्षारोपण हेतु लाइन से लाइन तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 मी. x 5 मी. होनी चाहिए।



3. अप्रैल तथा मई में चिन्हित स्थान पर $45 \text{ से} 0\text{मी} \times 45 \text{ से} 0\text{मी}$ का गड्ढा खोदकर उसे खुला छोड़ दें।
4. जुलाई माह में वृक्षारोपण से पूर्व माइक्रो न्यूट्रियन्ट्स तथा कम्पोस्ट डालने के उपरान्त कम से कम चार फिट लम्बाई का पौधा हो, जुलाई से सितम्बर माह में लगाना चाहिए।
5. प्रथम वर्ष में समय से निराई-गुड़ाई तथा पौध की रक्षा अति आवश्यक होगी। साथ ही प्रत्येक पौध को 5 किंग्रा० कम्पोस्ट तथा 225 ग्राम एन.पी.के. मिक्स कर डालना आवश्यक है।
6. कलम द्वारा तैयार किये गये पौधे से औसतन 8 से 10 वर्ष के उपरान्त एक करंज के पौधे से लगभग 60 से 80 किंग्रा० बीज प्रति वर्ष प्राप्त होता है। भविष्य में वृक्ष का आकार बढ़ने पर 100 किंग्रा० प्रति वृक्ष भी उत्पादन पाया गया है। करंज के बीज में 25 से 35 प्रतिशत तक तेल की मात्रा पायी जाती है। इस प्रकार प्राप्त तेल का उपयोग बायो डीजल उत्पादन हेतु किया जाता है।
7. उक्त उत्पादित खली बोर्ड के बी.इ.एम.सी. मॉडल बायोगैस उत्पादन इकाई में गोबर के साथ मिश्रित कर जहाँ इससे खाना पकाने एवं प्रकाश हेतु स्वच्छ ईंधन का उत्पादन कर सकेंगे, वहीं इसकी बायो स्लरी का उपयोग उच्च गुणवत्ता की आर्गेनिक खाद के रूप में आसानी से किया जा सकता है, जिस पर किसान को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना होगा।
8. यह पौधा लगाने के पश्चात् लगभग आगामी 100 वर्षों तक बढ़ती हुई दरों पर फलोत्पादन तो करेगा ही पर्यावरण को भी शुद्ध करने में सहयोग करेगा।
9. सघन करंज वृक्षारोपण के अन्तः कृषि में लेमनग्रास, पामारोजा, तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगन्धा इत्यादि औषधीय एवं संगंध पौधों का रोपण कर प्रत्येक 100 से 120 दिन में किसान को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। इस हेतु “जीवन शक्ति परियोजना” के अंतर्गत उक्त श्रेणी के किसानों को वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराया जाता है।
10. किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रूड बायोडीजल उत्पादन तथा बैच आधारित क्रूड बायोडीजल शोधन संयंत्र स्थायी स्वरोजगार हेतु उद्यमिता मोड में प्रधानमंत्री रोजगार गारण्टी योजना/मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आसानी से बैक इन्डेल क्रेडिट लिंक सब्सिडी सुविधा प्राप्त कर स्थापित किया जा सकता है। इस हेतु शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है।
11. करंज के गिरी का क्रय संबंधित वर्ष में भारत सरकार द्वारा बायोडीजल हेतु घोषित दर का 20 प्रतिशत होगा। यह दर संबंधित उपभोक्ता द्वारा क्रूड बायोडीजल उत्पादक/क्रय केन्द्र/बोर्ड द्वारा घोषित जनपदवार/क्षेत्रवार क्रय केन्द्रों पर समन्वित उत्पाद ले आने पर लागू होगी। वर्तमान में बायो डीजल का मूल्य 48.50 रु० प्रति लीटर घोषित है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें -

उ.प्र. राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

534, पाँचवां तल, योजना भवन, लखनऊ-226001

फोन : 0522-2236213 मोबाइल : 9415004917

ई-मेल : upbioenergy2017@gmail.com


ps_ojha@yahoo.com

वेबसाईट : <http://bio-energy.up.nic.in>



**बायोडीजिल
उत्पादन
हेतु**

महुआ (मधुका इण्डिका एवं मधुका लॉगीफोलिया) वृक्षारोपण (जीवन ज्योति परियोजना)



पेट्रोलियम आधारित ईधन की माँग की पूर्ति हेतु वर्ष 2014-15 में भारत सरकार को इसके आयात मूल्य के रूप में लगभग रु० 7 लाख करोड़ का निवेश करना पड़ा। इतने भारी-भरकम निवेश के उपरान्त भी पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन की दरों के उत्तार-चढ़ाव से हमारी अर्थ व्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इन पदार्थों के इस्तेमाल के उपरान्त इससे होने वाले उत्सर्जन का वातावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का प्रत्यक्ष उदाहरण ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे समक्ष है तथा वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व की जनता इसकी त्रासदी को झेल भी रही है।

उक्त परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा घोषित “राज्य जैव ऊर्जा नीति” में प्रदेश की ऊसर, परती,

बंजर तथा कृषि, बागवानी एवं पशु चारागाह हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त

भूमि का उपयोग कर जैव ऊर्जा पौध का रोपण करते हुए पेट्रोलियम आधारित ईधन की खपत को बायोडीजिल से उत्तरोत्तर रूप से कम करते हुए वर्ष 2020 तक लगभग दस लाख युवाओं को स्वरोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इस पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है।

इसी क्रम में प्रदेश की जलवायु के अनुसार जैव ऊर्जा पौधों के वृक्षारोपण हेतु नीम, महवा, करंज, सीमारुबा तथा जेट्रोफा का चयन किया गया है। इस पौध के बीज से जहाँ एक ओर बायोडीजिल उत्पादन होता है, वहीं इसकी खली का उपयोग बायो गैस इकाई में करते हुए खाना पकाने एवं प्रकाश हेतु स्वच्छ ईधन तथा उच्च गुणवत्ता की खाद भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार का प्रयास प्रदेश के कुछ जनपदों में प्रारम्भ भी हो चुका है। उक्त चयनित पौधों में महुआ वृक्षारोपण हेतु निम्नलिखित प्रयास किसान भाईयों को करने होंगे :

1. यदि आप लघु एवं सीमान्त, बी.पी.एल., एस.टी.एस.सी., इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थी अथवा भूमि संरक्षण योजना के लाभार्थी हैं तो अपने गाँव के रोजगार सेवक/ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर अपना मनरेगा जॉब कार्ड निश्चित रूप से बनवा लें ताकि इस वृक्षारोपण की लागत “जीवन ज्योति परियोजना” के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाये। इसका सघन वृक्षारोपण कृषि सामाजिक वानिकी एवं पशु चारागाह हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि पर क्लस्टर एप्रोच आधार पर किये जाने की अनुशंसा है।
2. महुआ के सघन वृक्षारोपण हेतु लाइन से लाइन तथा पौधे से पौधे की दूरी 7 मी० x 7 मी० होनी चाहिए।
3. अप्रैल तथा मई माह में चिन्हित स्थान पर 45 से०मी० x 45 से०मी० का गड्ढा खोदकर उसे खुला छोड़ दें।



4. जुलाई से सितम्बर माह में वृक्षारोपण से पूर्व माइक्रो न्यूट्रियन्ट्स तथा कम्पोस्ट डालने के उपरान्त कम से कम चार फिट लम्बाई का पौध लगाना चाहिए।
5. प्रथम वर्ष में समय से निराई-गुड़ाई तथा पौध की रक्षा अति आवश्यक होगी। साथ ही प्रत्येक पौध को 5 किंवद्दन कम्पोस्ट तथा 225 ग्राम एन.पी.के. मिक्स कर डालना आवश्यक है।
6. कलम द्वारा तैयार किये गये पौध से औसतन 8 से 10 वर्ष के उपरान्त एक महुआ के पौधे से लगभग 60 से 80 किंवद्दन बीज प्रति वर्ष प्राप्त होता है। भविष्य में वृक्ष का आकार बढ़ने पर 100 किंवद्दन प्रति वृक्ष भी उत्पादन पाया गया है। महुआ के बीज में 30 से 40 प्रतिशत तक तेल की मात्रा पायी जाती है। इस प्रकार प्राप्त तेल का उपयोग बायोडीजल उत्पादन हेतु किया जाता है।
7. उक्त उत्पादित खली पशु आहार के रूप में अथवा बोर्ड के बी.इ.एम.सी. मॉडल बायो गैस उत्पादन इकाई में गोबर के साथ मिश्रित कर जहाँ इससे खाना पकाने एवं प्रकाश हेतु स्वच्छ ईंधन का उत्पादन कर सकेंगे, वहीं इसकी बायो स्लरी का उपयोग उच्च गुणवत्ता की आर्गेनिक खाद के रूप में आसानी से किया जा सकता है, जिस पर किसान को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना होगा।
8. यह पौधा लगाने के पश्चात् लगभग आगामी 100 वर्षों तक बढ़ती हुई दरों पर फलोत्पादन तो करेगा ही पर्यावरण को भी शुद्ध करने में सहयोग करेगा।
9. सघन महुआ वृक्षारोपण के अन्तः कृषि में लेमनग्रास, पामारोजा, तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगन्धा इत्यादि औषधीय एवं सगंध पौधों का रोपण कर प्रत्येक 100 से 120 दिन में किसान को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। इस हेतु ‘‘जीवन शक्ति परियोजना’’ के अंतर्गत उक्त श्रेणी के किसानों को वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराया जाता है।
10. किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रूड बायोडीजल उत्पादन तथा बैच आधारित क्रूड बायोडीजल शोधन संयंत्र स्थायी स्वरोजगार हेतु उद्यमिता मोड में प्रधानमंत्री रोजगार गारण्टी योजना/मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आसानी से बैंक इन्डेड क्रेडिट लिंक सब्सिडी सुविधा प्राप्त कर, व्यावसायिक बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त कर रक्षापित किया जा सकता है। इस हेतु शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है।
11. महुआ के गिरी का क्रय संबंधित वर्ष में भारत सरकार द्वारा बायोडीजल हेतु घोषित दर का 20 प्रतिशत होगा। यह दर संबंधित उपभोक्ता द्वारा क्रूड बायोडीजल उत्पादक/क्रय केन्द्र/बोर्ड द्वारा घोषित जनपदवार/क्षेत्रवार क्रय केन्द्रों पर सम्बन्धित उत्पाद ले आने पर लागू होगी। वर्तमान में बायोडीजल का मूल्य 48.50 रु० प्रति लीटर घोषित है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें -

उ.प्र. राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

534, पाँचवां तल, योजना भवन, लखनऊ-226001

फोन : 0522-2236213 मोबाइल : 9415004917

ई-मेल : uppbioenergy2017@gmail.com

ps_ojha@yahoo.com

वेबसाईट : <http://bio-energy.up.nic.in>



बायोडीजल
उत्पादन
हेतु

नीम (अजारीरिक्ता इण्डफा) वृक्षारोपण

(जीवन ज्योति परियोजना)



पेट्रोलियम आधारित ईंधन की माँग की पूर्ति हेतु वर्ष 2014-15 में भारत सरकार को इसके आयात मूल्य के रूप में लगभग रु० 7 लाख करोड़ का निवेश करना पड़ा। इतने भारी-भरकम निवेश के उपरान्त भी पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन की दरों के उत्तर-चढ़ाव से हमारी अर्थ व्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इन पदार्थों के इस्तेमाल के उपरान्त इससे होने वाले उत्सर्जन का वातारवण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का प्रत्यक्ष उदाहरण ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे समक्ष है तथा वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व की जनता इसकी त्रासदी को झेल भी रही है।

उक्त परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा घोषित “राज्य जैव ऊर्जा नीति” में प्रदेश की ऊसर, परती,


बंजर तथा कृषि, बागवानी एवं पशु चारागाह हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि का उपयोग कर जैव ऊर्जा पौध का रोपण करते हुए पेट्रोलियम आधारित ईंधन की खपत को बायोडीजल से उत्तरोत्तर रूप से कम करते हुए वर्ष 2020 तक लगभग दस लाख युवाओं को स्वरोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इस पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

इसी क्रम में प्रदेश की जलवायु के अनुसार जैव ऊर्जा पौध के वृक्षारोपण हेतु नीम, महुवा, करंज, सीमारूबा तथा जेट्रोफा का चयन किया गया है। इस पौध के बीज से जहाँ एक ओर बायोडीजल उत्पादन होता है, वहीं इसकी खली का उपयोग बायो गैस इकाई में करते हुए खाना पकाने एवं प्रकाश हेतु स्वच्छ ईंधन तथा उच्च गुणवत्ता की खाद भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार का प्रयास प्रदेश के कुछ जनपदों में प्रारम्भ भी हो चुका है। उक्त चयनित पौधों में नीम वृक्षारोपण हेतु निम्नलिखित प्रयास किसान भाईयों को करने होंगे :

1. यदि आप लघु एवं सीमान्त, बी.पी.एल., एस.टी.एस.सी., इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थी अथवा भूमि संरक्षण योजना के लाभार्थी हैं तो अपने गाँव के रोजगार सेवक/ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर अपना मनरेगा जॉब कार्ड निश्चित रूप से बनवा लें ताकि इस वृक्षारोपण की लागत “जीवन ज्योति परियोजना” के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाये। इसका सघन वृक्षारोपण कृषि सामाजिक वानिकी एवं पशु चारागाह पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि पर क्लस्टर एप्रोच आधार पर किये जाने की अनुशंसा है।
2. नीम के सघन वृक्षारोपण हेतु लाइन से लाइन तक, पौध की दूरी ५ मी० × ५ मी० होनी चाहिए।
3. अप्रैल तथा मई माह में चिन्हित स्थान पर ४५ सेमी० × ४५ सेमी० का गड्ढा खोदकर उसे खुला छोड़ दें।

4. जुलाई माह में वृक्षारोपण से पूर्व माइक्रो न्यूट्रियन्ट्स तथा कम्पोस्ट डालने के उपरान्त कम से कम चार फिट लम्बाई का पौधा जुलाई से सितम्बर में लगाना चाहिए।
5. प्रथम वर्ष में समय से निराई-गुड़ाई तथा पौध की रक्षा अति आवश्यक होगी।
6. औसतन 8 से 10 वर्ष के उपरान्त एक नीम के पौधे से औसतन 30 से 50 किंवद्दन निबौली प्राप्त होती है, जिसमें औसतन 6 किंवद्दन से 10 किंवद्दन तक तेल तथा शेष खली प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त तेल का उपयोग बायोडीजल उत्पादन हेतु किया जाता है। वैसे तो नीम के तेल का अन्य व्यावसायिक/औषधीय उपयोग पूर्वकाल से ही होता रहा है।
7. उक्त उत्पादित खली बोर्ड के बी.ई.एम.सी. मॉडल बायोगैस उत्पादन इकाई में गोबर के साथ मिश्रित कर जहाँ इससे खाना पकाने एवं प्रकाश हेतु स्वच्छ ईंधन का उत्पादन कर सकेंगे, वहीं इसकी बायो स्लरी का उपयोग उच्च गुणवत्ता की आर्गेनिक खाद के रूप में आसानी से किया जा सकता है, जिस पर किसान को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना होगा।
8. यह पौधा लगाने के पश्चात् लगभग आगामी 100 वर्षों तक बढ़ती हुई दरों पर फलोत्पादन तो करेगा ही पर्यावरण को भी शुद्ध करने में सहयोग करेगा।
9. सघन नीम वृक्षारोपण के अन्तः कृषि में लेमनग्रास, पामारोजा, तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगन्धा इत्यादि औषधीय एवं संगंध पौधों का रोपण कर प्रत्येक 100 से 120 दिन में किसान को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। इस हेतु “‘जीवन शक्ति परियोजना” के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के किसानों को वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध है।
10. किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रूड बायोडीजल उत्पादन तथा बैच आधारित क्रूड बायोडीजल शोधन संयंत्र स्थायी स्वरोजगार हेतु उद्यमिता मोड में प्रधानमंत्री रोजगार गारन्टी योजना/मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आसानी से बैक इन्डेड क्रेडिट लिंक सब्सिडी सुविधा प्राप्त कर, व्यावसायिक बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त कर स्थापित किया जा सकता है। इस हेतु शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है।

निबौली की गिरी का क्रय संबंधित वर्ष में भारत सरकार द्वारा बायो डीजल हेतु घोषित दर का 20 प्रतिशत होगा। यह दर संबंधित उपभोक्ता क्रूड बायोडीजल उत्पादक/क्रय केन्द्र/बोर्ड द्वारा घोषित जनपदवार/क्षेत्रवार क्रय केन्द्रों पर सम्बन्धित उत्पाद ले आने पर लागू होगी। वर्तमान में बायोडीजल का मूल्य 48.50 रु. प्रति लीटर घोषित है।



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें -

उ.प्र. राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

534, पाँचवां तल, योजना भवन, लखनऊ-226001

फोन : 0522-2236213 मोबाइल : 9415004917

ई-मेल : uppbioenergy2017@gmail.com

ps_ojha@yahoo.com

वेबसाईट : <http://bio-energy.up.nic.in>